

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : तेजपाल पण्डा

राजस्व आवेदन सं. 03/2024

प्रार्थी-

बनाम

विप्रार्थी-

राज्य सरकार जरिये
पटवारी सरली

श्री देवाराम पुत्र श्री कबीराराम जाति
रावणा राजपूत निवासी गंगासरा
तहसील बाडमेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.09.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.08.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2081 के दौरान ग्राम गंगासरा के खसरा नम्बर 721/591 रकबा 76.8983 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गौचर भूमि में से 3.9659 हैक्टेयर भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।
03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया एवं अपने जवाब में प्रकट किया कि विप्रार्थी भूमिहीन है एवं खसरा संख्या 721/591 की भूमि पर विप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है इसलिए न्यायालय द्वारा जारी नोटिस खारिज किया जाये एवं पुराना कब्जा होने से नियमन कर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का निवेदन किया है।
04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भूअ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने गै.मु. गौचर भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।
05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रुपये 10.00 का 50 गुना रुपये 73.5/- (अक्षरों में तेहतरसरे पचास रुपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।
06. भू-अभिलेख निरीक्षक सरली एवं पटवारी सरली को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।
07. निर्णय आज दिनांक 11.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तेजपाल पण्डा)

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण